

## एच०के०आर०एन०एल० के अंतर्गत नौकरियों की संख्या

प्रश्न संख्या – 06 श्री इंदु राज (बरौदा):

क्या मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि –

- 1) पदवार लोगों की संख्या जिन्हे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत नौकरी मिली है;
- 2) क्या किसी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण रखा गया है; यदि ऐसा है तो उसका श्रेणी अनुसार ब्यौरा; और
- 3) उनके लाभों का श्रेणीवार ब्यौरा ?

उत्तर: श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

क) महोदय जी, एच.के.आर.एन.एल द्वारा अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों का पदवार विवरण अनुबंध-ए में दिया गया है।

ख) महोदय जी, आरक्षण के लिए अपनाए गए मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित “अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022” दिनांक 30 जून 2022 की धारा 9 - आरक्षण नीति के अनुसार है। “आरक्षण नीति अनुसार आरक्षण नीति का पालन जिला स्तर पर न होकर राज्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर 1/4 वैरटिकल 1/2 और क्षैतिज 1/4 होरिजेंटल 1/2 दोनों सीधी भर्ती के लिए समय समय पर किया जाता है। इसके अलावा, रोजगार की भूमिका के अनुसार न होकर बल्कि रोजगार की भूमिका के स्तर पर दिया जाता है। यह लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन नहीं है, इसलिए, एक उम्मीदवार की नियुक्ति का प्रावधान है, अपनी मर्जी से आरक्षित श्रेणी लागू नहीं होगी। राज्य स्तर पर रोजगार की भूमिका में नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या आरक्षण की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोस्टर को वर्ष-वार बनाए रखा जाएगा, रोजगार की भूमिका का स्तर- रोजगार की श्रेणी के बजाय, भूमिका के अनुसार या जिला/संगठन के अनुसार और राज्य वार होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, क्षैतिज श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में ऊर्ध्वाधर श्रेणी के उपयुक्त व्यक्ति, यदि उपलब्ध हो, को नियुक्त किया जा सकता है। निगम द्वारा, विशिष्ट श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में निगम द्वारा अन्य श्रेणी की जनशक्ति को नियुक्त किया जाएगा। यह कोई नियमित नियुक्ति नहीं है; इसलिए, किसी विशेष वर्ष में आरक्षित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में कोई बैकलॉग नहीं रखा जाएगा।”

ग) “अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022” में उल्लिखित स्कोरिंग मानदंडों के अनुसार सभी श्रेणियों के लिए मेरिट तैयार की जाती है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को दिए गए आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित है:

जाति श्रेणी	नई श्रमशक्ति	पोर्टिंग श्रमशक्ति	नई नियुक्तियां (%)	पोर्टड (%)
बी०सी०	3553	29288	27.05 %	27.69%
सामान्य	6870	44269	52.31%	41.86%
ए०सी०	2710	32190	20.63%	30.44%
सेवानिवृत अभ्यर्थी	5	436	0.03%	0.41%

उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, जैसा कि नियुक्ति नीति-2022 की खंड संख्या 8-4 में उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लाभ नहीं दिया जाता है

.....